

प्रेषण,

पीठकोपानी,  
अपर सचिव,  
त्रिविलास्थान शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संकाक/गोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तापाल, इन्द्रिया नगर,  
फारेस्ट कालीनी देहरादून।

## वन एवं पर्यावरण अनुबंध-४

देहरादून: दिनांक: ०१/०५/२०१६

**विषय:** जनपद-चंगोली (आपदाप्रस्ता जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में नौली बाजार से आपली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.253, हॉ सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके नम्र संख्या 2905/1-जी-FF/UX/ROAD/9405/2015 दिनांक 15 अप्रैल, 2015 के रान्दर्भ में मुझे यह लगने लग जिवेश तुमा है कि क्षेत्र राज्यपाल भ्रोदय जनपद चंगोली (आपदाप्रस्ता जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में नौली बाजार से आपली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.253, हॉ सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग के प्रत्यावर्तन करने की संदर्भिक स्थीकृति, भारत सरकार, प्रयोक्ता एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ००८० ११-०९/१०-एफ० ०८०८० दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं संख्या एफ००८०-११-०९/१०-एफ००८०८० दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राप्तिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/विवरणों के अधीन प्रदान करते हैं—

- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.506, हॉ सिविल सोम्यम पूर्णी पर काटे पूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान देतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नानान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नगान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदत्त की जा रही संदर्भिक स्थीकृति निर्धारित मानी जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल को आस-नास रिका पढ़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान देतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आईएएस०-566 एवं भारत सरकार पत्र रां०-५-३/2007-एफ०८०१० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०८०) की निर्धारित राशि जगा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का बचनबद्धता प्रमत्तु करेंगे कि सक्षम स्तर से यैदी-एन०पी०८० ले ८८% में बलोतारी होती है तो वही ही धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
- भारत सरकार नम्र सं० ५-३/२००७-एन०पी०८० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०८०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण नियमों के तात्पर्य विवरण तथा योजना प्राप्तिकारण के तात्पर्य नियम तापीरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), छाल-11 भूतल सौ०जी०८० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जना की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नां० ७८८ उद्योग न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आईएएस०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०५-३/२००७-एफ०८०१० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०८०) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण नियमों के तात्पर्य नियम तापीरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), छाल-11 भूतल सौ०जी०८० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में

जगा छुरने ले उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट / चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आव्यया (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एनोटी०सी, शतिष्ठुरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्थीकृति गान्य होगी।

7. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निम्नांक कार्य के लिए जनपद कार्यक्षम की संसुलेखों एवं भू-वैज्ञानिक के सूचावों के कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा यन उपिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण -- पत्रों को संलब्ध कराया जाना होगा।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं उन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिव्या स्थीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय  
(प्रियोक्ता)  
अपर संविद।  
३-

**संख्या: २.२। (१)/ X-4-15/ १(१२) / २०१५, तदादिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर ग्रमुख द्वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत राजकार, पर्यावरण एवं उन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, एफ०आरए आई०, उत्तराखण्ड देहादून
2. सचिव, लोक निर्माण टिभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालोक्यकार, लेखा एवं हक्कारी, उत्तराखण्ड, देहादून।
4. उन संरक्षक, गढ़वाल दूल्ह, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, चमोली।
6. प्रभागीय चनाधिकारी, बदीनाथ द्वन प्रशाग, चमोली।
7. अधिशारी अभियंता, प्राचीन खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चमोली।
8. निदेशक, राष्ट्रीय शूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड संचियालय परिसर, देहादून को इस आशय से प्रेषित ने कृपया इस शासनादेश को एनोटी०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने का कर्ष करें।
9. गार्ड कार्फ्ट।

आज्ञा से।  
(इयाम स्तिंड)  
लूप रायिव।